

1. The first part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2.2

The second part of the text focuses on the importance of regular communication and collaboration between the accounting department and other departments, such as sales and operations. This ensures that all parties are aware of the financial implications of their actions and can make informed decisions.

Additionally, the text emphasizes the need for a strong internal control system to prevent fraud and errors. This includes implementing segregation of duties, regular reconciliations, and a robust review process.

Finally, the text concludes by highlighting the importance of staying up-to-date on the latest accounting standards and regulations. This ensures that the organization remains compliant and can adapt to any changes in the regulatory environment.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1237 / 111 / 14

जिला सागर

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों
के हस्ताक्षर

20.5.14

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 676 अ 6/08-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-10-13 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय में दिनांक 28-3-14 को प्रस्तुत की गई है।

2/ अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अपर आयुक्त, सागर संभाग के आदेश दिनांक 24-10-13 की सूचना आवेदकगण को नहीं दी गई। दिनांक 20-2-14 को पहलीवार आवेदकगण को बाबू द्वारा बताया गया कि 24-10-13 को आदेश हो चुका है तब जानकारी मिलने पर उसी दिन प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का आवेदन दिया एवं 26-10-13 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर पुनरीक्षण समयावधि में प्रस्तुत किया गया है जिसे सुनवाई में लिया जाकर रिकार्ड मंगाया जावे एवं गुणदोष पर निगरानी का निराकरण किया जावे।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 24-10-13 के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 24-10-13 के


प्रथम पद में अंकित किया है कि -

“अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपने लिखित तर्कों में उन्हीं आधारों को दुहराया है जो अपील मेमो में दिये गये हैं। प्रतिअपी० अधिवक्ता ने अपने लिखित तर्क में यह तर्क दिया कि बसीयतनामा संदिग्ध है अपील निरस्त करने की मांग की है।”

उपरोक्त से प्रमाणित है कि लिखित तर्क प्रस्तुत होने के बाद अंतिम आदेश हेतु नियत तिथि की जानकारी उभय पक्ष के अभिभाषकों को रही है।

1. म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959- धारा 47 - अंतिम तर्क उपरांत आदेश हेतु तिथि नियत - अंतिम आदेश दिनांक की तिथि अभिभाषक के अभिज्ञान में है- आदेश नियत दिनांक को अभिभाषक ने टीप नहीं किया- आदेश की सूचना होना मानी जावेगी - प्रथक से सूचना देना आवश्यक नहीं है।
2. म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959- धारा 47 - अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वितीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 676 अ 6/08-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-10-13 के विरुद्ध यह निगरानी दिनांक 28-3-14 अर्थात् आदेश पारित होने के 157 दिवस बाद प्रस्तुत की गई है 157 दिन में प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु व्यतीत समय 07 दिवस कम करने पर $(157-7=150)$ दिवस का विलम्ब है जबकि इस हेतु समयसीमा 60 दिवस है $150-60=96$ दिवस विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण निगरानी समयवाह प्रस्तुत होना पाये जाने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकमार्ड रूम में जमा करें।


(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर